झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

आदेश

राँची, दिनांक.........................

संख्या :– 8/आरोप–14/2019 का०........................../ श्री प्रेम लाल मेहरा, तत्कालीन प्रशाखा पदाधिकारी, कल्याण विभाग, सम्प्रति–उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, झारखण्ड, राँची के विरूद्ध अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–2646 दिनांक–02.08.2019 द्वारा प्रपत्र–'क' में साक्ष्य सहित आरोप पत्र गठित कर इस विभाग को उपलब्ध कराया गया।

2. विभागीय पत्रांक–8592 दिनांक–24.10.2019 द्वारा साक्ष्य सहित आरोप पत्र की प्रति श्री प्रेम लाल मेहरा, तत्कालीन प्रशाखा पदाधिकारी, पर्यटन, कला–संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को उपलब्ध कराते हुए बचाव–बयान समर्पित करने का अनुरोध किया गया, जिसके अनुपालन में श्री मेहरा, प्रशाखा पदाधिकारी द्वारा आरोप पत्र पर अपना बचाव–बयान दिनांक–18.11.2019 इस विभाग में समर्पित किया गया।

3. विभागीय पत्रांक–2695 दिनांक–04.06.2020 द्वारा श्री प्रेम लाल मेहरा, तत्कालीन प्रशाखा पदाधिकारी, कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची के समर्पित बचाव–बयान की प्रति अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची को भेजते हुए मंतव्य प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। उक्त के आलोक में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–3358 दिनांक–24.12.2021 द्वारा श्री मेहरा, प्रशाखा पदाधिकारी के बचाव–बयान पर प्रशासी विभाग का मंतव्य उपलब्ध कराया गया।

4. श्री मेहरा, प्रशाखा पदाधिकारी के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, उनसे प्राप्त बचाव–बयान एवं प्रशासी विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये मंतव्य की समीक्षोपरान्त श्री प्रेम लाल मेहरा, तत्कालीन प्रशाखा पदाधिकारी, कल्याण विभाग, सम्प्रति–उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, झारखण्ड, राँची के विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है।

5. उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री रामाकान्त सिंह (सेवानिवृत्त, भा०प्र०से०), विभागीय जाँच पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

6. उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन में सरकार के तरफ से आरोपों के समर्थन में प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए श्री प्रभात कुमार रंजन, अवर सचिव, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

ह0/–
(रणजीत कुमार लाल)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– 8/आरोप–14/2019 का॰....................../ राँची, दिनांक..........................

प्रतिलिपि :– श्री रामाकान्त सिंह (सेवानिवृत्त, भा॰प्र॰से॰), विभागीय जाँच पदाधिकारी, टाऊन एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग, एच॰ई॰सी॰, गोलचक्कर, धुर्वा को प्रपत्र–'क' में गठित आरोप–पत्र एवं साक्ष्य अभिलखों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अनुरोध है कि उक्त विभागीय कार्यवाही ससमय निष्पादित करते हुए जाँच प्रतिवेदन इस विभाग में शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

अनु0 :– यथोक्त।

ह0/–

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– 8/आरोप–14/2019 का॰ 1940 / राँची, दिनांक 25/03/2022

प्रतिलिपि :– ई–नोडल पदाधिकारी, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/श्री प्रभात कुमार रंजन, अवर सचिव, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची को साक्ष्य सहित आरोप पत्र की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0 – यथोक्त।

24/03/22

सरकार के संयुक्त सचिव।